"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर,शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2018 — पौष 16, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-571/2016/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंध के पालन में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नये उपखंड निर्मित करने और संभाग की सीमाओं को बदलने तथा उसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

प्रस्ताव पर, राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई आपत्तियां या लिखित रूप में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान उप-खंड (2)	जिला (3)	नवीन उप-खंड (4)	वर्तमान उप-खंड में सम्मिलित तहसील (5)	नवीन उप-खंड में सम्मिलित तहसील (6)
1	मोहला	राजनांदगांव	मानपुर	तहसील-मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़-चौकी	तहसील-मानपुर
2	खैरागढ़	राजनांदगांव	गण्डई	तहसील-खैरागढ़, छुईखदान एवं उप-तहसील-गण्डई	तहसील-छुईखदान एवं उप-तहसील-गण्डई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	गरियाबंद	गरियाबंद	राजिम	तहसील-गरियाबंद, छुरा, राजिम एवं उप-तहसील-फिंगेश्वर	तहसील-राजिम एवं उप-तहसील-फिंगेश्वर
4	साजा	बेमेतरा	बेरला	तहसील-साजा एवं बेरला	तहसील-बेरला

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th January 2018

NOTIFICATION

No. F-6-571/2016/Seven-1.— In Pursuance of the Provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said code, the State Government proposes to create new sub-divisions, to alter the limits of divisions and to define the limits thereof, as specified in the Schedule below.

The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette. Any objections or Suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Naya Raipur, District Raipur, before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Present Sub-division (2)	District (3)	New Sub-division (4)	Tehsil included in Present Sub-division (5)	Tehsil included in new Sub-division (6)
1	Mohla	Rajnandgaon	Manpur	Tehsil-Mohla, Manpur and Ambagarh - Chowki	Tehsil-Manpur
2	Khairagarh	Rajnandgaon	Gandai	Tehsil-Khairagarh, Chhuikhadan and Sub-tehsil-Gandai	Tehsil-Chhuikhadan and Sub-tehsil Gandai
3	Gariyaband	Gariyaband	Rajim	Tehsil-Gariyaband, Chhura, Rajim and Sub-tehsil Fingeshwar	Tehsil-Rajim and Sub-tehsil-Fingeshwar
4	Saja	Bemetara	Berla	Tehsil-Saja and Berla	Tehsil-Berla

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.